न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 128 / 2025	2025 / 352	04.08.2025	21.05.2026

1– मामचन्द मीणा पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1– उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम।
2– भरतो देवी पत्नि कंवरलाल जाति अहीर निवासी ग्राम गढी हरसरू तहसील व जिला गुरूग्राम।
3– उप पंजियक कोटकासिम।
4– तहसीलदार कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 दीवानी प्रकिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन उनवान मामचन्द बनाम भरतो प्रकरण संख्या 182 / 2021 को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितिः
1– श्री मनोज कुमार — वकील प्रार्थी
2.– श्री रणवीर यादव — वकील अप्रार्थी संख्या 2

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन अपील में प्रतिवादीगण / अप्रार्थी विचाराधीन वाद में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से साजबाज हो चुके, रेस्पोडेन्ट / अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज हो गये है। न्यायालय के पीटासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलवी जर्ये नोटिस की गयी एंव तहत अदालत का बिन्दूवार जवाब तलब किया गया।

प्रार्थीया संख्या 2 की और से जर्ये अभिभाषक वकालतनामा / जवाब पेश किया गया, अपने जवाब में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को नकारते हुऐ निवेदन किया है, कि तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन वाद में स्थगन आदेश बाबत बहस हेतु विचाराधीन है, विचाराधीन वाद में स्थगन आदेश बाबत बहस न कर बार–बार तारीख पेशीयॉ प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाया जा सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

तहत अदालत ने जर्ये पत्राकं 389 दिनाक 27.08.2025 के द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में वर्णित तथ्यो को नकारते हुऐ निवेदन किया है, कि यदि उनवानी प्रकरण को दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

20/5/2025

न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा
उनवान - हीरासिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रकरण संख्या - 15/163/25

आज दिनांक पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी को आवाजें दिलायी गयी लेकिन वकील वादी उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। आदेशिका की तामील हेतु तहत अनुपालना की नियमानुसार पावे & पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जरूरी कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलेक्टर
खैरथल तिजारा